राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर

क्रमांक F 26(4)(59)/Edu./IEC/ICDS/2015/ 154670-155006 दिनांक : 18.11.16

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
समस्त

विषयः—आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संचालित पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रभावी संचालन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसा कि आपको विदित है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही शाला पूर्व शिक्षा के पश्चात् बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करने तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रदान की जा रही शाला पूर्व शिक्षा को प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त पत्र क्रमांक प17(11)शिक्षा–1/2015 दिनांक 08.08.2016 (प्रति wcd.rajasthan.gov.in/docs/paripatra0001.pdf पर उपलब्ध) के द्वारा जारी किए गए थे।

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के आदेश दिनांक 19.09.2013 (प्रति wcd.rajasthan.gov.in/docs/19-09-13.pdf पर उपलब्ध) के द्वारा जिले में समेकित बाल विकास सेवाओं के निगरानी एवं मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी तथा समीक्षा समिति (DLMRC) तथा परियोजना स्तर पर ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति (BLMC) गठित है, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ-साथ अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

इस संबंध में शासन सचिव, मबावि की ओर से आपके ज़िला कलेक्टर महोदय (प्रति संलग्न) से निवेदन किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जा रही शाला पूर्व शिक्षा के प्रभावी संचालन हेतु जारी दिशा–निर्देशों की क्रियान्विति की समीक्षा जिला स्तरीय निगरानी तथा समीक्षा समिति (DLMRC) तथा परियोजना स्तर पर ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति (BLMC) की त्रैमासिक बैठक में की जाए तथा बैठक में शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को मासिक क्रियान्विति के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाये।

अतः आप उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक F 26(4)(59)/Edu./IEC/ICDS/2015/ 155007-09 दिनांक : 18.11.16

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0 जयपुर
2. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस।
3. एसीपी (उप निदेशक) निदेशालय, को भेजकर लेख है कि विभागीय वैबसाईट पर अपलोड़ करने का श्रम करें।

(बिन्दु करूणाकर)
अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

Kuldeep Ranka, I.A.S.
कुलदीप रांका, आई.ए.एस.

सत्यमेव जयते

Secretary, Women & Child Development
शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास
Government of Rajasthan
राजस्थान सरकार
Government Secretariat, Jaipur-302005
शासन सचिवालय, जयपुर-302005

अ.शा.पत्रांक F 26(4)(59)/Edu./IEC/ICDS/2015// 154534-566
दिनांक 18.11.16

महोदय,

आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही शाला पूर्व शिक्षा के पश्चात् बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करने तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रदान की जा रही शाला पूर्व शिक्षा को प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त पत्र क्रमांक प17(11)शिक्षा–1/2015 दिनांक 08.08.2016 (प्रति wcd.rajasthan.gov.in/docs/paripatra0001.pdf पर उपलब्ध) के द्वारा जारी किए गए है। इसके अनुपालन में ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र जो भवनहीन या किराये के भवनों अथवा अपर्याप्त स्थान में संचालित हो रहे है, उन आंगनबाड़ी केन्द्रों को विद्यालय भवन में स्थानान्तरित किया जाए।

इन दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन से निम्नलिखित लाभ होंगे:–

1. आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो सकेगी।
2. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शाला पूर्व शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् बालक–बालिकाओं का कक्षा–1 में शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
3. शाला पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने से प्राथमिक कक्षाओं के सुदृढीकरण में मदद मिलेगी तथा स्कूल ड्रापआउट में कमी आयेगी।
4. आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ेगी और गुणवत्ता में सुधार होगा।

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के आदेश दिनांक 19.09.2013 (प्रति wcd.rajasthan.gov.in/docs/19-09-13.pdf पर उपलब्ध) के द्वारा जिले में समेकित बाल विकास सेवाओं के निगरानी एवं मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी तथा समीक्षा समिति (DLMRC) तथा परियोजना स्तर पर ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति (BLMC) गठित है, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ–साथ अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

अतः राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जा रही शाला पूर्व शिक्षा के प्रभावी संचालन हेतु जारी दिशा–निर्देशों की क्रियान्विति की समीक्षा इसकी त्रैमासिक बैठक में की जाए तथा बैठक में शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को क्रियान्विति रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाये।

सादर।

(कुलदीप रांका)
शासन सचिव

....
जिला कलेक्टर,.............

कमरा नं. 8302, एस.एस.ओ. भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005 फोन : 0141-5116638
Room No. 8302, SSO Building, Government Secretariat, Jaipur-302005 Phone : 0141-5116638
e-mail : wcdrajas@gmail.com

क्रमांक F 26(4)(59)/Edu./IEC/ICDS/2015/ 15457-669 दिनांक : 18.11.16

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0 जयपुर
2. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. समस्त उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान
6. P.S. to Secy Education.

(डॉ. समित शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर